**भारत सरकार**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2757**

17.03.2025 को उत्तर के लिए

**लंबित पर्यावरणीय मंजूरी**

**2757. श्री के. गोपीनाथः**

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कानूनी बाधाओं, विशेषकर नियम-उल्लंघनों से संबंधित मामलों के कारण कई पर्यावरणीय मंजूरियों में देरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में प्रभावित हुई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त देरी को दूर करने और कानूनी बाधाओं को शीघ्रता से हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम प्रस्तावित हैं; और

(घ) क्या सरकार ने मंजूरी प्रक्रिया को सुकर बनाने और भविष्य में ऐसी देरी को रोकने के लिए कोई विशिष्ट उपाय या नीतिगत सुधार अपनाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**
**(श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

(क) से (घ) भारत सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 जारी की है। दिनांक 14 सितम्बर, 2006 की उक्त अधिसूचना के अनुसार, नई परियोजनाओं या निर्माण या मौजूदा परियोजनाओं के कार्यकलापों या विस्तार या आधुनिकीकरण अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध कार्यकलाप जिसमें प्रक्रिया और/या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के साथ क्षमता वृद्धि शामिल है, भारत के किसी भी हिस्से में केवल केन्द्रीय सरकार से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के बाद या, जैसा भी मामला हो, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा विधिवत गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। केन्द्र सरकार या राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरणों (एसईआईएए) द्वारा दी गई पर्यावरणीय मंजूरी उक्त अधिसूचना में निर्धारित विस्तृत प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही जारी की जाती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अंतिम निर्णय के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व स्क्रीनिंग (केवल श्रेणी 'ख' परियोजनाओं और कार्यकलापों के लिए), स्कोपिंग,

सार्वजनिक परामर्श और केन्द्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर मूल्यांकन, जैसा भी मामला हो, शामिल है।

भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण तथा वनों और अन्य राष्ट्रीय संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 भी अधिनियमित किया है, जिसमें पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार का प्रवर्तन और व्यक्तियों और संपत्तियों को हुए नुकसान के लिए राहत और मुआवजा देना तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामले शामिल हैं। पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी देने या अन्यथा के संबंध में केन्द्र और/या राज्य स्तर पर सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील मुख्य रूप से एनजीटी में दायर की जाती है, जिसकी मुख्य पीठ दिल्ली में तथा पीठें पुणे, चेन्नई, भोपाल और कोलकाता में हैं। यथा संशोधित ईआईए अधिसूचना, 2006 के भाग के रूप में विभिन्न परियोजनाओं और गतिविधियों से संबंधित रिट याचिकाएं/ जनहित याचिकाएं/ अपील आदि में माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी दायर की जाती हैं, जिनका संबंधित परियोजना गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है। अब तक एनजीटी में 199 मामले, सर्वोच्च न्यायालय में 32 मामले तथा उच्च न्यायालय में 70 मामले दायर किये जा चुके हैं। इन मामलों में परियोजनाओं/गतिविधियों के संबंध में यथा संशोधित ईआईए अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन से संबंधित मामले भी शामिल हैं, जो अन्यथा पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के लिए पात्र हैं। इस समय संशोधित ईआईए अधिसूचना, 2006 के गैर-अनुपालन के ऐसे मामलों से निपटने के लिए मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।

सरकार कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए उचित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कदम उठा रही है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने हाल ही में प्रौद्योगिकीय कार्यक्रमों, परिवेश (एकल खिड़की पोर्टल जो संपूर्ण ऑनलाइन समाधान प्रदान करता है) पोर्टल के उन्नयन तथा ईआईए अधिसूचना 2006 में संशोधनों के माध्यम से नीतिगत सुधारों के माध्यम से मंजूरी प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए कई प्रणालीगत सुधार किए हैं, जैसे खनन, सिंचाई और बिजली परियोजनाओं के लिए एसईआईएए को शक्तियां सौंपना, विचारार्थ विषयों (टीओआर) का मानकीकृत करना, टीओआर/ईसी की वैधता बढ़ाना, टीओआर अनुमोदन से पहले आधारभूत डेटा संग्रह में लचीलापन प्रदान करना तथा जन सुनवाई प्रक्रिया में सुधार करना।

****